

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1234 / 2016 / श्रीगंगानगर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री बालाजी उद्योग, श्रीगंगानगर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

श्री वी.के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 15 / 02 / 2018

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 388/आरवेट/श्रीगंगानगर/14-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.10.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, अलवर. (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 06.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.02.2015 को परिवहन में जांच के दौरान पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भरतपुर क्षेत्र से खरीद किये गये शहद को सीधे पंजाब की क्रेता फर्म मैसर्स शक्ति ए.पी.फूड प्रा०लि० भोगीवाल को भिजवाया जा रहा था, जिसके संबंध में व्यवहारी का बिल संख्या 119 दिनांक 02.02.2015 एवं बिल्टी संख्या 6178 दिनांक 02.02.2015 भरतपुर से भोगीवाल के प्रस्तुत किये गये थे। बिल में माल का विक्रय क्रेता फर्म के आदेशानुसार एच.फार्म समर्थित होना बताया गया था। इस तरह परिवहन के दौरान अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधान अनुसार अनिवार्य दस्तावेज व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह आक्षेप किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी गंगानगर अर्थात् पश्चिमी राजस्थान में पंजीकृत है जबकि उनके द्वारा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से माल का सीधा गमनागमन




लगातार.....2

पंजाब को किया जाने से अविधिक है। यह भी आक्षेप किया गया कि उनके द्वारा जो माल निर्यात के क्रम में विक्रय होना बताया गया है वह भी मिथ्या है क्योंकि क्रेता के पास निर्यात के आदेश होना प्रमाणित नहीं किया गया। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी को यह तथ्य आपत्तिजनक लगा कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल, गंगानगर में किसी प्रकार का माल व लेखा रेकार्ड नहीं पाया गया। अतः परिवहनित माल के समस्त बिल एवं बिल्टियों को असत्य एवं कूटरचित मानते हुये रुपये 4,55,625/- की शास्ति आरोपित की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुये यह निर्णित किया है कि व्यवहारी द्वारा धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल मात्र कल्पना के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों को झूठा बताया है जबकि व्यवहारी द्वारा विधिक बिल एवं बिल्टी वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये गये थे जिन्हें किसी भी जांच से झूठा साबित नहीं किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील सुनवाई के दौरान यह भी जांच की गई कि व्यवहारी द्वारा माल का विक्रय एच.फार्म के विरुद्ध किये जाने में कोई गलत घोषणा नहीं की थी बल्कि सत्य घोषणा की गई थी, जो प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित थी एवं व्यवहारी द्वारा इसके पूर्व भी बिल संख्या 117 एवं 118 भी इसी संव्यवहार के समान जारी किये हुये थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा जांच से यह प्रमाणित किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के शास्ति का आरोपण किया गया है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथमतया यह प्रमाणित है कि परिवहन के दौरान अनिवार्य दस्तावेज बिल एवं बिल्टी संलग्न थे एवं जांच के दौरान भी व्यवहारी द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भिन्न तथ्यों के अधीन पारित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुये निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया अविधिक है। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल दो बिन्दुओं पर जोर दिया गया है कि व्यवहारी द्वारा पंजीकृत स्थान से भिन्न स्थान से माल का परिवहन सीधे अन्य राज्य को किया जाना अनुचित है एवं बिल में विक्रय की प्रकृति एच फार्म से बताया जाना भी गलत बताया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त दोनों प्रश्नगत आक्षेप विधि एवं न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि बिलों के जरिये की गई बिक्री की प्रकृति (Mode of transaction for taxation) का निर्धारण एवं कर देयता निर्णित करने का कार्य व्यवहारी के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर निर्धारण अधिकारी का है एवं उसी के द्वारा कर निर्धारण के समय यह निर्णित किया जाता है कि विक्रय कर देयता के लिए घोषित संव्यवहार अन्य श्रेणी में



लगातार.....3


—: 3 :-

अपील संख्या - 1234 / 2016 / श्रीगंगानगर.

आच्छादित होंगे अथवा नहीं, एवं उसी अनुरूप करारोपण किया जाएगा। परिवहन के दौरान अधिनियम की धारा 76 में केवल यह जांच अपेक्षित है कि माल से संबंधित बिल एवं बिल्टी संलग्न किया गया है एवं वे झूठे एवं मिथ्या नहीं हैं।

इस प्रकरण में यह पूर्णतया प्रमाणित था कि माल के बिल एवं बिल्टी विधिक रूप से जारी किये हुये थे एवं परिवहन में जांच के समय प्रस्तुत किए गए थे तथा व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त बहियात भी प्रस्तुत की गई थी ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित न होने से धारा 76(6) का प्रयोग कर शास्ति का आरोपण किया जाना विधि व न्याय के विरुद्ध है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश को अपास्त किये जाने^{के} निर्णय में कोई त्रुटि कारित नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य